

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्र. प्रशा./गो.क./समिति/का.आ.-71

दिनांक: 09 .01.2025

:: कार्यालय आदेश ::

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 (C) में उल्लिखित कदाचार के संबंध में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु समिति का पुनर्गठन ।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश महोदय के आदेश दिनांक 02.01.2025 द्वारा इस कार्यालय (भोपाल शाखा सहित) की कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु पूर्व में कार्यालय आदेश क्र. प्रशा./गो.क./समिति/का.आ.-62 दिनांक 06.11.2024 द्वारा गठित समिति का पुनर्गठन किया गया है । तदनुसार उक्त समिति अब निम्नानुसार होगी :-

- | | | |
|---|---|----------|
| 1. सुश्री मेघना जैन, उप महालेखाकार (AMG-I)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
महाराष्ट्र, नागपुर | - | अध्यक्षा |
| 2. श्री एच.एस. परस्ते, वरिष्ठ लेखा अधिकारी | - | सदस्य |
| 3. श्री प्रशांत ढबले, वरिष्ठ लेखा अधिकारी | - | सदस्य |
| 4. सुश्री आरती लखेरवाल, सहायक लेखा अधिकारी | - | सदस्य |
| 5. सुश्री सौम्या शर्मा, लेखापाल | - | सदस्य |
| 6. सुश्री प्रियंका सिंह, Head Of Operations,
संभव समाज सेवा संगठन, गार्गी हाउस, बलवंत नगर,
गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) | - | सदस्य |

(प्राधिकार: महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 02.01.2025)

Mayidur 09/01/25

उप महालेखाकार (प्रशासन)